रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-06112024-258494 CG-DL-E-06112024-258494

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4442]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 6, 2024/कार्तिक 15, 1946

No. 4442]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 6, 2024/KARTIKA 15, 1946

#### श्रम और रोजगार मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2024

का.आ. 4823(अ).—केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है कि भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, मैसूर (कर्नाटक) और सालबोनी (पश्चिमी बंगाल), में लगी हुई सेवाएं जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची के मद 25 के अधीन आती हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवाएं हैं:

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 5418(अ), तारीख 22 दिसंबर, 2023 द्वारा तारीख 29 जनवरी, 2024 से छह मास की अविध के लिए उक्त उद्योग को लोक उपयोगी सेवा घोषित किया है;

और, उक्त घोषणा को किसी भी समय विस्तारित नहीं जा सकता था;

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में छह मास की और अवधि के लिए उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा प्रास्थिति का विस्तार किया जाना अपेक्षित है:

7192 GI/2024 (1)

अब, अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उप खंड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित ऐसा करना अपेक्षित है, उक्त औद्योगिक उपक्रमों में लगी सेवाओं को राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस.-11017/02/2023-आईआर (पीएल)] दीपिका कच्छल, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 6th November, 2024

**S.O. 4823(E).**—WHEREAS the Central Government is satisfied that public interest so requires that the services in the Bhartiya Reserve Bank Note Mudran (P) Limited, Mysore (Karnataka) and Salboni (West Bengal), which are covered under item 25 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;

AND WHEREAS, the Central Government has declared the said industrial undertaking to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the date of 29<sup>th</sup> January, 2024, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, number S.O. 5418(E), dated the 22<sup>nd</sup> December, 2023;

AND WHEREAS, the said declaration could not be extended at any one time;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that public interest requires the said industrial undertakings is declared as public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-clause(vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government, being satisfied that public interest so requires, hereby declares the services engaged in the said industrial undertakings to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. S-11017/2/2023-IR (PL)] DEEPIKA KACHHAL, Jt. Secy.